दामोदर घाटी निगम / Damodar Valley Corporation
निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं का कार्यालय / Office of the Director of Health Services
डीवीसी टावर्स, वी.आई.पी रोड / DVC Towers, V.I.P. Road,
कोलकाता / Kolkata-54, पश्चिम बंगाल/ West Bengal

सं. एमडी/डीएचएस/पीएस 1058 दिनांक: 7 /02 /2022

कार्यालय ज्ञापन

सेवानिवृत डीवीसी कर्मचारियों (जो कि डीवीसी कन्ट्रिब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल एसिसटेंस स्कीम - सीपीआरएमएएस के अंशदाता हैं) हेतु डीवीसी अस्पताल में इंडोर उपचार हेतु निगम कैशलेस सुविधायें सहर्ष लागू करता है । इंडोर उपचार सुविधा की लागत को सेवानिवृत डीवीसी कर्मचारियों के सीपीआरएमएएस में प्रदान की गयी वार्षिक साख जमा राशि से समायोजित की जाएगी ।

प्रारम्भ किये गये *इंडोर कैशलेस* सुविधा का विस्तृत विवरण निम्नासुर है:

1. डीवीसी पेंशनधारक / सेवानिवृत डीवीसी कर्मचारी (स्वयं एवं पति-पत्नी) को सिर्फ डीवीसी अस्पताल में भर्ती होने के बाद *कैशलेस* उपचार किया जाएगा (किसी भी प्रकार के ओपीडी/ आपातिक/कैजुएलटी उपचार को छोड़कर) ।

2. डीवीसी अस्पताल में उपलब्ध *इंडोर* सुविधा यथा चिकित्सक परामर्श, जाँच, दवा, व्यवहार्य योग्य अन्य सुविधायें भर्ती के दौरान केवल सेवानिवृत डीवीसी मरीजों को ही उपलब्ध करायी जाएगी । डीवीसी अस्पताल में किये जाने वाले उपचार के दौरान यदि कोई सेवा या वस्तु उपलब्ध नहीं है तो पेशेंट पार्टी / मरीज के रिश्तेदारों को अपने खर्च पर बाहर से उसकी व्यवस्था करनी होगी ।

3. डीवीसी (*इंडोर*) डाक्टर द्वारा निर्दिष्ट बाहरी जाँच एवं दवाई जो डीवीसी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है,की प्रतिपूर्ति विद्यमान प्रतिपूर्ति नियम (डब्लूबीएचएस 2008) के अनुसार '**क्लेम**' बिल के रूप में की जाएगी। डीवीसी अस्पताल में भर्ती किये गये मरीजों को परवर्ती दावा हेतु इन बिल एवं पार्चियों को संभाल कर रखना होगा ।

4. **पेंशनर पोर्टल में यथा उद्धृत आवश्यक दस्तावेज के साथ डिस्चार्ज की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति बिल उचित माध्यम (अस्पताल प्रभारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित) से मुख्यालय डीएचएस कार्यालय, डीवीसी, कोलकाता को भेजा जाए ।**

5. ओपीडी प्रक्रिया, साधारण ओटी (यथा, स्टिचिंग, ड्रैसिंग, फौरेन बोडी रिमुभल इत्यादि) शवगृह शुल्क, एंबुलेंस सेवा, ओपीडी चिकित्सक शुल्क, जाँच, आपातिक उपचार/ जाँच यथा नेबुलाइजेशन, ईसीजी, दुर्घटना के दौरान अल्पकालिक आक्सीजन उपलब्ध कराने जैसी सेवाएं, जिसके लिए भर्ती होने की आवश्यकता नही है, का डीवीसी नियमों के अनुसार चार्ज किया जाएगा ।

6. सम्पूर्ण दिवस (चौबीस घंटे) से कम समय मे किया गया कोई उपचार/जाँच/प्रक्रिया(कैशलेस/ सीपीआरएमएएस सुविधा हेतु मान्य नहीं होगा) डीवीसी नियमों के अनुसार चार्ज किया जाएगा ।

7. दावा की प्रतिपूर्ति या सीपीआरएमएएस मे निर्धारित कैशलेस *सुविधाए* डब्लूबीएचएस 2008 प्रतिपूर्ति नियम द्वारा संचालित होगा जिससे वास्तविक भुगतान में भिन्नता हो सकती है ।

8. सभी उपरोक्त इनडोर सुविधाओ का डीवीसी अस्पताल मे लाभ लेने के लिए फोटो पहचान पत्र यथा आधार /पेन के साथ सेवानिवृत डीवीसी कर्मचारियों को पीपीओ बुक (पैशनर्स हेतु) यूनिक सं. वाला मेडिकल इनस्युरेंस कार्ड (सीपीआरएमएएस) (सीपीएफ / एनपीएस हेतु) प्रस्तुत करना होगा ।

9. डीवीसी अस्पताल मे, भर्ती के दौरान हुए खर्च सभी उपचार लागत राशि चाहे कैशलेस या प्रतिपूर्ति का समायोजन सेवाननिवृत कर्मचारियों (सीपीआरएमएएस) हेतु विद्यमान डीवीसी मेडिकल इनस्योरेंस स्कीम की जमा राशि से किया जाएगा ।

फिलहाल मे ये सभी *इंडोर कैशलेस* सुविधा केवल डीवीसी अस्पताल यथा डीटीपीएस, बीटीपीएस, एमटीपीएस, बी. पी. नियोगी अस्पताल-मैथन, सीटीपीएस एवं पंचेत हील अस्पताल मे उपलब्ध है ।

राजित भट्टाचार्या

(डॉ. राजित भट्टाचार्या-एम.डी)
प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी व
प्रभारी, निदेशक स्वास्थ्य सेवाए
डीवीसी, कोलकाता

प्रतिलिपिः

- आईटी सेल} व्यापक परिचालन हेतु।